न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	तारीख आदेश
1 / 177	10.10.2023	16.01.2026

बउनवान

01. रामबाई पत्नी शमशेर जाति जाट
02. भोलाराम पुत्र श्री शमशेर जाति जाट
03. लालचन्द पुत्र शमशेर जाति जाट
04. लक्ष्मण पुत्र रती जाति जाट
05. फूलसिंह पुत्र रत्ती जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

01. हुकमसिंह पुत्र रामहेत जाति जाट
02. मानसिंह पुत्र रामहेत जाति जाट
03. प्रहलाद पुत्र नेतराम जाति जाट
04. पप्पू पुत्र मुखराम जाति जाट
05. यादराम पुत्र रतनलाल जाति जाट
06. रामोतार पुत्र प्यारेलाल जाति जाट
07. सियाराम उर्फ बग्गो पुत्र गिल्लू जाति जाट
08. हीरासिंह पुत्र प्रेम जाति जाट
09. राजू पुत्र दीनदयाल जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2074–2077 के आराजी खसरा नंबर 364 / 1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी संख्या–1 का 1 / 9 हिस्सा, प्रार्थी संख्या–2 का 1 / 9 हिस्सा, प्रार्थी संख्या–3 का 1 / 9 हिस्सा, प्रार्थी संख्या–4 का 1 / 3 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या–5 का 1 / 3 हिस्सा है। जिस पर बुजुर्गों के जमाने से नियमानुसार पुख्ता मकानात बनाकर परिवार के साथ रिहायश करते हैं। अप्रार्थीगण जो एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, लडाकू खूंख्वार शख्स हैं, तथा वे प्रार्थीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करने की मंशा रखते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी व रिहायश के मकानात तरफ उत्तर भाग पर करीब 6 माह पूर्व अतिक्रमण करके कण्डे तथा पत्थर आदि डालकर अतिक्रमण कर लिया। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को आने–जाने में परेशानी है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

गोबर के कण्डे की दुर्गन्ध से प्रार्थीगण को रहने में बेहर परेशानी हो रही है, तथा प्रार्थीगण का परिवार बीमारी से ग्रसित हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा इस बाबत एक प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर को दिनांक 26.06.2023 इससे पूर्व कई आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये तथा प्रार्थना में समस्त तथ्य दर्ज कर यह प्रार्थना की गई कि अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर द्वारा अधीनस्थ पटवारी महोदय रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी ढाकपुरी द्वारा दिनांक 17.06.2023 को पर्चा मौका कायम किया गया तथा मौके पर जरीब चलाकर मुस्तकिल मुकाम से खसरा संख्या 364/1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर की सीमायें कायम की गई तथा निशानात इत्यादि बनाये गये व इस बाबत एक मौका पर्चा बनाकर वादीगण व पडौसी ग्रामवासियान के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 22.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मालाखेडा को यह अवगत कराया गया कि आराजी का सीमाज्ञान कराकर निशानात इत्यादि कायम करा दिये गये हैं, तथा उक्त खसरा में मौके पर रोडी व पत्थर पडे हुये हैं। इसके बावजूद अप्रार्थीगण जो लडाका व खूंखार शख्स हैं, तथा कानून को मानने से इंकार करते हैं, अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जिस प्रार्थी द्वारा पुनः एक प्रार्थनापत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 364/1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाकपुरी से अतिक्रमण को हटवाये जाने निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय मालाखेडा ने दिनांक 13.09.2023 को तहसीलदार मालाखेडा को निर्देश दिये कि वे प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दु/तथ्यों की मौके व राजस्व रिकार्ड से जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिस पर पटवारी हल्का ढाकपुरी द्वारा जवाब दिया गया कि आराजी खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा रोडी, गोबर, कचरा डाल कब्जा किया हुआ है, तथा कब्जा सहखातेदारों का ना होकर अन्य का है, तथा कब्जा हटवाने के लिये प्रार्थी के द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कब्जा प्राप्त किया जाना उचित है, तथा आराजी का सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त सभी विधिक कार्यवाही किये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण आराजी पर से कब्जा नहीं हटा रहे हैं। प्रार्थीगण एक शांतिप्रिय व कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आराजी खसरा नंबर 364/1540 को उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.07.2023 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये आराजी को प्रार्थीगण की खातेदारी में रखा गया है, परन्तु आराजी की किस्म बदलकर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर गई है, तथा इस बाबत एक नामान्तकरण क्रमांक 1531 दिनांक 05.09.2023 को दर्ज कर दिया गया है। उक्त जमीन किस्म विधि विरूद्ध तरीके से बदल दी गई है. तथा हम प्रार्थीगण को कोई मुआवजा इत्यादि भी नहीं दिया गया जिसके विरूद्व वादीगण द्वारा एक अपील सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां दायर कर दी गई है. जो सुनवाई हेतु लंबित है। प्रार्थना पत्र मे आराजी खसरा नम्बर 364/1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम ढांकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० से अप्रार्थीगण का रोडी, गोबर, कचरा, डालकर जो अस्थाई कब्जा कर अतिक्रमण किया गया उसे हटाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये गये।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 364/1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित होना स्वीकार है, परन्तु शेष तथ्य गलत, खिलाफ रिकार्ड है। जबकि आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

बर 364 / 1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाकपुरी गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जो कि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 से पूरी तरह साबित है। क्त रास्ता विधिवत कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। कानूनन स्ते की भूमि से किसी व्यक्ति विशेष का कोई हक व अधिकार नही होता है और उक्त रास्ता मि अप्रार्थीगण व अन्य ग्राम वासियान के आवागमन के उपयोग व उपभोग में आ रही है। जेस रास्ता भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। यह तथ्य वीकार है कि अप्रार्थीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है, परन्तु अप्रार्थीगण ने कोई नाजायज गेरोह नही बना रखा है और ना ही अप्रार्थीगण लडाकू, खूखांर शख्स है तथा नाही प्रार्थीगण की कोई आराजी पर कब्जा करने की मंशा रखते है। प्रार्थीगण का यह कथन नितांत गलत है के अप्रार्थीगण द्वारा आराजी व रिहायशी मकानात के तरफ उत्तर भाग पर 6 माह पूर्व अतिक्रमण कर गोबर के कण्डे, पत्थर आदि डालकर अतिक्रमण कर लिया हो। जबकि अप्रार्थीगण के अपने बुजुर्गो के समय से अपनी भूमि पर कूडी का स्थान बना हुआ है और उसी पर अपनी कुडी स्थित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आने जाने में किसी तरह की परेशानी होने व किसी तरह की दुर्गन्ध से प्रार्थीगण को परेशानी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा यदि कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है तो उसकी अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। हां यह अंकित करना आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके की जांच किये जाने पर पर मौके पर अप्रार्थीगण का कोई अतिक्रमण अवैध कब्जा नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में यह कथन कतई निराधार है कि अप्रार्थीगण को अतिक्रमण तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने का कोई आदेश दिया हो। अप्रार्थीगण का रास्ते की भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण अवैध कब्जा नही पाया गया। और नाही उक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 3641 / 540 पर रोडी पत्थर पाये गये है। प्रार्थीगण द्वारा अपील गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली में तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 990 दिनांक–24.03.25 में अवगत कराया है कि मौके पर चालू रास्ता खसरा संख्या 364 / 1540 रकबा 0.04 हैक्टेयर एवं 1575 / 364 रकबा 0.02 हैक्टेयर को हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर पक्षकार फूलसिहं पुत्र स्त्तीराम वगै0 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील संख्या 131 / 2023 बउनवान फूलसिंह पुत्र स्तीराम वगै0 बनाम राज0 सरकार प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा उक्त अपील पर निर्णय दिनांक 22.01.25 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 26.07.23 को निरस्त कर दिया गया व पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को ही नवीन निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित की गई।

पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र व जवाब में अंकित अभिवचनों, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया।

अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा संख्या 364 / 1540 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर में अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अस्थायी अतिक्रमण को हटवाये जाने का निवेदन किया है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या नया–162 खसरा संख्या 364 / 1540 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मु0 रास्ता वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील संख्या 131 / 2023 उनवान

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ूलसिंह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक–22.01.2025 में इंतकाल संख्या 1531 नांक–23.08.2023 इंद्राज गै0मु0 रास्ता आराजी खसरा संख्या– 364 / 1540 रकबा 04 एयर के ग्राम ढाकपुरी, तहसील मालाखेडा को निरस्त कर उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य ा अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रश्नगत ाराजी पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजात पेश नही किये है, जिससे ाबित हो कि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का अस्थायी कब्जा किस अधिकार से है। अतः ार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण बहक प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार मालाखेडा को आदेश है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या–364 / 1540 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम ढाकपुरी, तहसील मालाखेडा से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया जाकर पालना से सूचित करावें।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)